सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण संचालनालय
लिंक रोड नं. 3, भोपाल – 462016
ई-मेल : dir.socialjustice@mp.gov.in

क्र./VC/**428162**/I/1102058/2026 दिनांक :18-06-2026

प्रति,
समस्त संयुक्त/उप संचालक,
सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग,
मध्यप्रदेश।

विषय :- दिनांक 10/06/2026 को आयोजित वी.सी. के कार्यवाही विवरण के संबंध में।

--00--

दिनांक 10/06/2026 को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से विभागीय योजनाओं एवं विभागीय कार्यों की प्रगति की आयुक्त महोदय द्वारा समीक्षा की गई, जिसमें सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण संचालनालय तथा जिलों के अधिकारी/कर्मचारीगण उपस्थित रहे। वीडियो कॉन्फ्रेंस में निम्नलिखित निर्देश दिए गए :-

ई-ऑफिस के क्रियान्वयन की समीक्षा :-

- जिलों यथा विदिशा, सीधी, सतना, मंडला एवं दमोह द्वारा संचालनालय को बिना e-Sign / DSC Sign वालें पत्र मेल के माध्यम से प्रेषित किए जा रहे है, साथ ही जिलों यथा छतरपुर ,मंडला , सतना, दतिया, विदिशा , गुना, भिंड , सीधी, उज्जैन, कटनी, दमोह एवं श्योपुर संचालनालय को ई-ऑफिस जारी से e-Sign/ DSC Sign वाले पत्रों को manual dispatch किये जा रहे है। संचालनालय से सतत् निर्देशित करने के उपरांत भी जिलों द्वारा पत्र ई-ऑफिस पर eSign/DSC Sign करने के उपरांत CRU के माध्यम से प्रेषित नहीं किय जा रहे है। उक्त सम्बन्ध में निर्देश दिए गए है की समस्त जिला अधिकारी सुनिश्चित करें कि संचालनालय पत्राचार केवल ई-ऑफिस के माध्यम से e-Sign / DSC Sign पत्रों को संचालनालय के CRU को ही प्रेषित किया जाये, पृथक से संचालनालय को ई-मेल नहीं किया जाये।
- ई-ऑफिस पर e-Sign पत्र को Dispatch करते समय Intra e-Office का चयन कर DIRECTORATE OF SOCIAL JUSTICE AND DISABLED WELFARE का चयन कर CRU Users को चेक करें, तद्उपरांत संचालनालय के CRU Shri Bhagwan Das Raikwar, Assistant Grade-3, Section : Inward and Outward को पत्र Dispatch करना सुनिश्चित करें।
- निराश्रित निधि ई-पेमेंट एवं प्रबंधन प्रणाली पर बनाये गये ई.पी.ओ. पर जिला कलेक्टर एवं जिला अधिकारी के संयुक्त हस्ताक्षर ई-ऑफिस पर सुनिश्चित किये जाये।
- जिन जिलों में ई-ऑफिस का उपयोग नहीं किया जा रहा है, वे जिले शत-प्रतिशत ई-ऑफिस का उपयोग करना सुनिश्चित करें।

विभिन्न पोर्टल यथा पेंशन, स्पर्श एवं विवाह पोर्टल पर लंबित आवेदनों की समीक्षा :-

- विभाग के विभिन्न पोर्टल यथा पेंशन, स्पर्श एवं विवाह पोर्टल पर लंबित आवेदनों की समीक्षा की गई।पेंशन पोर्टल पर सर्वाधिक आवेदन निर्णय हेतु एवं DSC Sign हेतु जिला भोपाल में लंबित है। संयुक्त संचालक, भोपाल को निर्देशित किया गया कि समस्त लंबित आवेदनों का निराकरण 3 दिवस में कराया जाना सुनिश्चित करें।
- विवाह पोर्टल पर कल्याणी विवाह योजना के आवेदनों की समीक्षा की गई, जिला सागर, छतरपुर एवं विदिशा में सर्वाधिक आवेदन लंबित है, समस्त लंबित आवेदनों का निराकरण समय-सीमा में सुनिश्चित किया जाये। आवेदन किसी भी माध्यम (ऑनलाईन / ऑफलाईन) हो, उक्त आवेदनों का निराकरण सुनिश्चित किया जाये। आवेदनों का परीक्षण कर नियमानुसार निर्णय लिया जाये, स्वीकृति के उपरांत जिला अधिकारी स्वीकृत / अस्वीकृत प्रकरण पर eSign करें व भुगतान की कार्यवाही कर भुगतान की जानकारी को विवाह पोर्टल पर दर्ज करें।
- कन्या विवाह/ निकाह योजना अंतर्गत ऐसे हितग्राही जो आयोजन में उपस्थित हुये थे, उनको प्रदाय लाभ की जानकारी पोर्टल पर दर्ज नहीं की जा रही है, समस्त अधिकारी लाभ की जानकारी दर्ज करना सुनिश्चित करें।
- स्पर्श पोर्टल पर दिव्यांग विवाह योजना के लंबित आवेदनों की समीक्षा की गई, जिला छिंदवाडा, मंदसौर एवं छतरपुर में सर्वाधिक आवेदन लंबित है, समस्त लंबित आवेदनों का निराकरण समय-सीमा में सुनिश्चित कर

भुगतान की कार्यवाही की जाये।

- स्पर्श पोर्टल पर मुख्यमंत्री शिक्षा प्रोत्साहन योजना अंतर्गत लंबित प्रकरणों का परीक्षण कर स्वीकृति की कार्यवाही करें व पात्रतानुसार सहायता उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। जिलों द्वारा 35000/- में लैपटॉप नहीं मिलने के संबंध में अवगत कराया गया। संबंधित जिलों को उक्त संबंध में संचालनालय पत्र प्रेषित करने हेतु निर्देशित किया गया।
- उपरोक्तानुसार विभागीय पोर्टलों पर योजनाओं के प्रकरणों की समीक्षा उपरांत समस्त जिला अधिकारियों को निर्देशित किया गया कि :-
    - विभागीय योजनाओं अत्यंत संवेदनशील है, अत: योजनाओं का क्रियान्वयन संवेदनशीलता के साथ किया जाये। जिला एवं स्थानीय निकाय के अधिकारी प्रतिदिन विभाग के पोर्टलों पर लॉगईन कर उपलब्ध रिपोर्ट की समीक्षा करना सुनिश्चित करें। यदि स्थानीय निकायों के अधिकारियों द्वारा निर्धारित समय-सीमा में प्रकरणों का निराकरण नहीं किया जाता है तो उनके विरूद्ध कार्यवाही की जाये, अन्यथा प्रगति नहीं आने पर जिला अधिकारियों के विरूद्ध कार्यवाही प्रस्तावित की जायेगी।

आगामी शेक्षणिक सत्र की तैयारियों की प्रगति :-

- समस्त शासकीय विद्यालयों के मरम्मत कार्य के प्रस्ताव कलेक्टर की अनुशंसा सहित एवं समस्त शासकीय विद्यालयों के मूलभूत सुविधाएं के प्रस्ताव कलेक्टर की अनुशंसा सहित भेजने के निर्देश दिये गए हैं ।
- समस्त सभी शासकीय एवं राजअनुदान प्राप्त अशासकीय संस्थाओं के गुणवत्ता ऑडिट एवंसमस्त शासकीय एवं अशाकीय विद्यालयों में छात्राओं हेतु MHM कार्नर की व्यवस्था करने के निर्देश दिये गए हैं ।
- समस्त राज्य अनुदान प्राप्त अशासकीय संस्थाओं में कार्यरत अधिकारियों/कर्मचारियों तथा संस्थाओं के हितग्राहियों की जानकारी संचालनालय को प्रेषित करने हेतु निर्देशित किया गया ।

विभिन्न योजनाओं के लंबित उपयोगिता प्रमाण-पत्र :

- योजना क्रमांक -3345 नशाबंदी कार्यक्रम अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2024-25 एवं 2025-26 में व्यय राशि के उपयोगिता प्रमाण पत्र आलीराजपुर, अनुपपूर, आगर-मालवा, उज्जैन, उमरिया, कटनी, खण्डवा, खरगोन, गुना, ग्वालियर, छतरपुर, छिन्दवाडा, डिण्डौरी, देवास, नरसिंहपुर, नर्मदापुरम, निवाडी, नीमच, पन्ना, बालाघाट, भिण्ड मण्डला, मंदसौर, मुरैना, राजगढ, रायसेन, रीवा, विदिशा, शहडोल, शिवपुरी, मण्डला, नीमच, रायसेन, निवाडी, सागर, गुना, श्योपुर, नरसिंहपुर, सीहोर, ग्वालियर, सीधी, रीवा, भोपाल 29 जिलों को संचालनालय को प्रेषित करने हेतु निर्देशित किया गया ।

न्यायालयीन प्रकरणों के जवाब दावा प्रस्तुत करने की प्रगति :

- **WP/26658/2025 (Vishwajeet Upadhyay):**

  मध्यप्रदेश भिक्षावृत्ति निवारण अधिनियम के क्रियान्वयन के संबंध में खंडपीठ ग्वालियर में प्रचलित WP/26658/2025 के संबंध में समस्त जिलों से संचालनालय को जानकारी प्रेषित करने हेतु निर्देशित किया गया (वर्तमान में 12 जिला बुरहानपुर, सागर, शहडोल, बड़वानी, झाबुआ, उज्जैन, शिवपुरी, देवास, सीहोर, विदिशा, इंदौर एवं निवाड़ी से जानकारी प्राप्त है।)

- **WP(C) No.1405/2023 (Jane Kaushik Vs. UOI):**

  माननीय उच्चतम न्यायालय नई दिल्ली अपील क्रमांक WP(C) No.1405/2023 में पारित आदेश के प्रतिपालन में पारित आदेश दिनांक 29-10-2026 के परिपालन में संबंधित योजनावार लाभान्वित उभयलिंगी व्यक्तियों की संख्यावार जानकारी संचालनालय को प्रेषित करने हेतु समस्त जिलों को निर्देशित किया गया।

अन्तर्राष्ट्रीय वृद्धजन दुर्व्यहार रोकथाम दिवस की तैयारी तथा 5 जून- 21 जून (योग दिवस) के दौरान संचालित अभियान अंतर्गत अपेक्षित विभागीय प्रगति।

- 15 जून 2026 को अन्तर्राष्ट्रीय वरिष्ठ/वृद्धजन दुर्व्यवहार रोकथाम जागरुकता दिवस के आयोजन करने के संबंध मे संचालनालय से पत्र क्र./समाज रक्षा/F-572976/I/1062460/2026 भोपाल दिनांक 03-06-2026 के द्वारा मध्यप्रदेश के समस्त कलेक्टर, मुख्य कार्यपालन अधिकारी एवं समस्त संयुक्त/उप संचालक, सामाजिक न्याय विभाग को निर्देशित किया गया उक्त के अनुक्रम मे दिनांक 10 जून 2026 को आयोजित वीडियो कॉन्फ्रेंस मे सभी को पुन: कार्यक्रम आयोजन के निर्देश दिये गए तथा कार्यक्रम के आयोजन उपरांत संचालनालय को अवगत कराने को कहा गया।

Digitally signed by
SUCHITA TIRKEY BECK
Date: 18-06-2026
18:14:18

कार्यालय प्रमुख
सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन
सशक्तिकरण संचालनालय, भोपाल
(म.प्र.)

क्र./VC/**428162**/I/1102058/2026 दिनांक :18-06-2026

प्रतिलिपि :

1. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग – सूचनार्थ।
2. निज सचिव, आयुक्त, सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग – सूचनार्थ।
3. समस्त कलेक्टर, मध्यप्रदेश – सूचनार्थ।
4. समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत – सूचनार्थ।
5. समस्त अनुभाग प्रभारी, संचालनालय – सूचनार्थ।
6. समस्त जिला समन्वयक/सामाजिक सुरक्षा अधिकारी – सूचनार्थ।
7. समस्त सामाजिक सुरक्षा अधिकारी/समन्वयक – सूचनार्थ।
8. समस्त समग्र संयोजक – सूचनार्थ।

कार्यालय प्रमुख
सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन
सशक्तिकरण संचालनालय, भोपाल (म.प्र.)